

2018/0003

12/1/18

ज्योत्सना लाल (राजपूत) लुनाकरणसर, जिला बीकानेर

सरकार का नाम श्री सुन्दर लाल द. मोहन लाल सु 112

विद्यमान मुकदमा - आर.सी.ए. 1054 की धारा 42 एल. आर. एक्ट 1066 की धारा 1

मुकदमा संख्या 23/18 वर्ष 2018 फरार 22/1/18

आदेश दिनांक कार्यवाही विवरण आदेश की मिति

22/1/18

पटवारी हल्का 2/2/18 की रिपोर्ट पर पत्रावली मुसलीम की गई। मुताबिक मोर्टे अग्रार्थी ने आम/पु.क. 2/18/2012 के खतरा नं./मु.क. 168

तादादी 0-07 जीघा

राजकीय भूमि पर सम्यत 2-09-18 में नाजाराज वरुणा कर कास्ता कर ली। अग्रार्थी को धारा 22/11 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं अप्रतिवेस निरीक्षण को पत्रावली के द्वारा हेतु लिख नामे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो।

21/1/18

21/22/18

08/2/18

6/11/18 को पेश हुई। सर्वरिं 12/1/18 उपस्थित। 2/18, 2/18, 2/18 दिनें गये अवधि 2/18 दिनांक दिया गया। 2/18 2/18 का प्रो.पं. प्रमद के लिना जाकर शामिल मिल दिया गया।

2/18

व रजिस्ट्रार के पत्र 109 के अन्तर् 23 पर मोग कापम की जमीन (अग्रार्थी) TPA 12/1/18

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 23 / 2018

दिनांक: 8/2/18.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुन्दरलाल ने रिपोर्ट (पी-4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल सुन्दरलाल पुत्र श्री जे.एन.राम जाति सुन्दर साकिन 58 ने ग्राम सूर्यनरि.60 के खसरा नं० 168 रकबा 0.07 बीघा जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में कारत/बाड़ा/कच्चा/पक्का निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का सम्वत 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। सम्बन्धित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल सुन्दरलाल पुत्र श्री जे.एन.राम जाति सुन्दर साकिन 58 ग्राम सूर्यनरि.60 खसरा नं० 168 रकबा 0.07 बीघा के अतिकार करने पर राज भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व 0.18 के का 50 गुणा रूपये 09/ शक्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। वेदखली बावत सम्बन्धित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना पसूली बावत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बावत लोआरए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर